

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 1525]
 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/आवण 2, 1936

 No. 1525]
 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

का.आ. 1893(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिसूचना के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 5 के लिए अनुसूची में और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

0

तालिका			
(1)	(2)	(3)	
"5	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [किमी 307.600 से किमी 405.000 तक (रायपुर-नागपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	
	खंड) और किमी 88.000 से किमी 281.000 तक (रायपुर-औरंग) छोड़कर],	सरकार"	
	सं.12ए, सं.16, सं.43, सं.78, सं.111, सं.200 [किमी 0.000 से किमी 127.650		
	(रायपुर-बिलासपुर खंड) तक छोड़कर], सं. 202, सं. 216, सं.217, सं. 221,		

2988 GI/2014

नई रारा सं. 130ए, सं. 130बी, सं. 130सी, सं.130डी, सं.149बी, सं.163ए और सं. 930 का भाग जो छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है ।

[फा सं. एनएच-14013/12/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना की संख्या का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार इसमें संशोधन संख्या का. आ. **1396** (अ) तारीख 28 मई, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2014

S.O. 1893(E). In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4^{th} August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"5	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km.307.600 to Km. 405.000 (Raipur-Nagpur section) and from Km. 88.000 to Km. 281.000 (Raipur-Aurang)], No. 12A, No. 16, No. 43, No. 78, No. 111, No. 200 [excluding from Km. 0.000 to Km. 127.650 (Raipur-Bilaspur section)], No. 202, No. 216, No. 217, No. 221, new National Highways No. 130A, No. 130B, No. 130C, No. 130D, No. 149B, No. 163A and No. 930 as are situated within the State of Chhattisgarh.	State Government of Chhattisgarh".

[F. No. NH-14013/12/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot Note: - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1396 (E), dated the 28th May, 2014.